

UPME010078152026



न्यायालय-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ न्यायालय संख्या-02, मेरठ ।
 पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)
 जे०ओ०कोड संख्या यू०पी०-6292
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-2551/2026
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-2052/2026

आवेदक/अभियुक्त राजीव कुमार जैन, पुत्र स्व० जयप्रकाश जैन, निवासी 194 गली नं०
 आदर्श नगर, थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य।

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०-197/2026

धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस०

थाना- मवाना, जिला मेरठ।

दिनांक-05.06.2026

आवेदक/अभियुक्त राजीव कुमार जैन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत
 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बल न देने का
 कथन एवं इस आशय का पृष्ठांकन भी किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त की ओर से
 प्रस्तुत जमानत आवेदन बल न देने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **राजीव कुमार जैन** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन बल
 न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(चन्द्र शेखर मिश्र)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
 विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), मेरठ।